## राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमाक.एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 2354 दिनांकः 22/02/2023

# कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अंतर्गत " **शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने** " के उद्देश्य से प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में " **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN)**" का क्रियान्वयन **9 सितंबर 2022** से नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न संभागों की नगरीय निकायों की योजना अंतर्गत अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा करने पर यह तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में आया है, कि अधिकांश नगरीय निकायों द्वारा योजना की क्रियान्विति का संपूर्ण दायित्व जो संविदा कर्मी भर्ती किए गए हैं, पर ही सौंप दिया गया हैं, जो कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन की दृष्टि से एक अत्यंत गंभीर एवं अकर्मण्यता व लापरवाही का सूचक है। राज्य सरकार स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। जबकि संविदा कार्मिकों की भर्ती नगरीय निकाय में कार्य की अधिकता एवं कार्मिकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकाय में कार्यरत नियमित कार्मिकों यथा प्रशासनिक, तकनीकी, लेखा शाखा के सहयोग हेतु जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा योजना से संबंधित जारी पूर्व समस्त आदेश, दिशा–निर्देश, परिपत्रों की निरंतरता में यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस योजना का समस्त क्रियान्वयन नगरीय निकाय में कार्यरत नियमित प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारियों एवं लेखा शाखा के संपूर्ण पर्यवेक्षण एवं सत्यापन द्वारा ही किया जाना है। योजना से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही (प्रस्तावित कार्यो के तकमीनों का परीक्षण, श्रम व सामग्री मद की गणना, कार्य की माप, माप–पुस्तिका में इन्द्राज, माप–पुस्तिका में श्रम व सामग्री का मिलान मस्टरोल व किये गये कार्य की मात्रा से करना एवं प्रमाणीकरण आदि समस्त कार्यवाही) का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन व प्रमाणीकरण विभाग द्वारा जारी पूर्व समस्त आदेश, दिशा निर्देश व sop पत्रांक 445 दिनांक 08.01.2015 एवं आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए की जानी है। योजना अंतर्गत भर्ती किए गए संविदा कार्मिक निकाय में कार्यरत नियमित कार्मिकों के सहयोग के लिए हैं, ये कर्मचारी पूर्ण रूप से नगरीय निकाय के प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारियों के संपूर्ण निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में योजना की क्रियान्विति का कार्य करेंगे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कार्मिकों को ना तो स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने का अधिकार है ना ही वे इसमें सक्षम है। साथ ही नगरीय निकाय में नियमित

कार्यरत आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्ठ नियमित अभियंता (अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता जो भी पदस्थापित हो) निकाय स्तर पर क्रमशः नोडल व सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के आयुक्त एवं वरिष्ठ नियमित अभियंता (अधिशाषी, सहायक अथवा कनिष्ठ अभियंता जो भी पद स्थापित हो) योजना के क्रमशः जिला स्तरीय नोडल व सहायक नोडल अधिकारी होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार ही योजना की क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करावे इसमें किसी प्रकार की कोताही एवं लापरवाही होने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी साथ ही यह भी सुनिश्चित करावे कि राज्य सरकार की मंशानुरूप जनहित में आमजन को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

**(हृदेश कुमार शर्मा)**
**निदेशक एवं विशिष्ट सचिव**

**क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/**2355-2606**दिनांकः** 22/02/2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
5. मुख्य लेखाधिकारी (IRGY), निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

22/3/23

**परियोजना निदेशक (IRGY-U)**